भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

**राज्यसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 741**
**05.12.2025 को उत्तर के लिए नियत**

**भारी उद्योगों और सहायक क्षेत्रों पर जी.एस.टी युक्तिकरण का प्रभाव**

741 **डा. दिनेश शर्मा:**
**श्री केसरीदेवसिंह झाला:**
**श्रीमती किरण चौधरी**
**डा. भागवत कराड़:**
**श्री मयंककुमार नायकः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) संशोधित जीएसटी ढाँचे का भारी उद्योगों से संबंधित क्षेत्रों, जिनमें ऑटोमोबाइल, परिवहन उपकरण तथा औद्योगिक घटक शामिल हैं, पर क्या समग्र प्रभाव है;
(ख) घरेलू विनिर्माण, निवेश रुझानों तथा 'मेक इन इंडिया' पहल पर दरों में कटौती का क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) भारी उद्योग आपूर्ति श्रृंखला में इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग को सुनिश्चित करने तथा करों के बहु-स्तरीय प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं;और
(घ) लॉजिस्टिक लागत, इनपुट व्यय तथा घरेलू विनिर्माताओं की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता पर जीएसटी युक्तिकरण का क्या प्रभाव पड़ा है?

**उत्तर**
**भारी उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालाँकि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2025 में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या 40,55,559 थी, जबकि अक्टूबर 2024 में बेचे गए वाहनों की संख्या 28,70,120 थी।

(ख) एमएचआई द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) ने बताया है कि चूंकि देश में बिकने वाले

99% से अधिक वाहन भारत में ही निर्मित होते हैं, इसलिए बिक्री में वृद्धि से इस क्षेत्र में अधिक निवेश होने की उम्मीद है और यह मेक इन इंडिया पहल में योगदान दे सकता है।

(ग) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने और कर कैस्केडिंग को रोकने के लिए, परिषद ने सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन करने की सिफारिश की है, ताकि इनवर्टेड शुल्क ढांचे से उत्पन्न मामलों में दावा की गई राशि के 90% की अनंतिम वापसी का प्रावधान किया जा सके, उसी तर्ज पर जैसा कि वर्तमान में शून्य-रेटेड आपूर्ति रिफंड दावों के संबंध में रिफंड के लिए उपलब्ध है। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमों में संशोधन लंबित होने के कारण, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय संगठनों को निर्देश जारी किए हैं कि वे 1 अक्टूबर 2025 से प्रणाली द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर दावा किए गए रिफंड, जो इनवर्टेड स्ट्रक्चर से उत्पन्न हुआ है, के 90% के बराबर अनंतिम आधार पर रिफंड प्रदान करें। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि वस्तुओं की आपूर्ति में शामिल व्यवसायों की कार्यशील पूंजी अवरुद्ध न हो, क्योंकि उत्पादन आपूर्ति की तुलना में इनपुट की दर में अंतर है।

(घ) वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सस्ते वाहन अधिग्रहण और निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा कम कर के कारण कम लॉजिस्टिक्स लागत में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में भारतीय भारी उद्योगों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

******